न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 28/2020(2020/00104)

महावीर पुत्र रामेश्वर ब्राहमण जाति ब्राहमण निवासी ग्राम सरसड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर
—प्रार्थी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131,136राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,

उपस्थितः— श्री सूर्यकान्त दाधीच—वकील प्रार्थी
तहसीलदार सावर —पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 23·7·21

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया प्रकरण की जांच तहसीलदार केकड़ी से करवायी गयी। तहसीलदार केकड़ी ने अपनी जांच रिपोर्ट मे अवगत कराया कि ग्राम सरसड़ी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम सरसड़ी के खसरा नंबर 573,580,581 के राजस्व मानचित्र मे साबिक खसरा नंबर 588 व 589 के अनुरूप दुरूस्त करवाने का निवेदन करने पर तहसीलदार केकड़ी ने रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक केकडी व पटवारी हल्का सरसड़ी की संयुक्त संलगन रिपोर्ट के अनुसार ग्राम सरसड़ी की जमाबंदी संवत् 2073—76 के खाता संख्या 173 मे खसरा नंबर 573 रकबा 0.72 है0 खसरा नंबर 580 रकबा 0.03 है0 तथा खसरा नंबर 581 रकबा 0.03 है0 पर महावीर पुत्र रामेश्वर हि01/2 बद्रीविशाल पुत्र रामेश्वर हि02/15 पुरूषोत्तम पुत्र रामेश्वर हि01/10 कोम ब्राहमण साकिन देह खातेदार दर्ज है। मुताबिक मिलान क्षैत्रफल वर्तमान खसरा नंबर 580 रकबा 0.03 बीघा खसरा नंबर 581 रकबा 0.03 बीघा साबिक खसरा नंबर 588 रकबा 0.06 से बने है एवं खसरा नंबर 581 रकबा 0.72 साबिक खसरा नंबर साबिक खसरा नंबर 589 रकबा 0.72 से बने है। वर्तमान राजस्व नक्शे मे अंकित खसरा नंबर 573 व 581 की रकबा बरारी करने पर 0.46 व 0.31 है0 क्षैत्रफल बनता है जो जमाबंदी मे दर्ज रकबा के अनुरूप नही है। खसरा नंबर 580 का रकबा 0.03 मुताबिक नक्शा व जमाबंदी सही हे। साबिक खसरा नंबर 588 व 589 की रकबा बरारी करने पर क्षैत्रफल कमशः 0.06व 0.75 है0 बनता है। वर्तमान खसरा नंबर 573,580,581 का नक्शा साबिक खसरा नंबर 588 व 589 के सर्वाग सम नहीं है। उक्त खसरा नंबरान की सीमाओं का मिलान करने पर आपस के खसरा नंबरान की सीमाए नहीं मिलती है। उक्त खसरा नंबरान के सह खातेदार वर्तमान नक्शा मे ही मुताबिक जमाबंदी रकबा के अनुसार नक्शे मे शुद्धि करवाने हेतु सहमत है। जो कि संलग्न वर्तमान नक्शा नकल मे लाल स्याही से प्रस्तावित किया गया है। अतः प्रस्तावित शुद्धि अनुसार खसरा नंबर 573 व 581 की शुद्धि किया जाना तहसीलदार केकड़ी द्वारा उचित बताया गया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी को सुना गया । ग्राम सरसड़ी के खसरा नंबर 573,581 की शुद्धि तहसीलदार केकड़ी की अनुशंषा के अनुसार किया जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार केकड़ी राजस्च रेकार्ड व नक्शा ट्रेस मे अमल दरामद की कार्यवाही करे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

([illegible])
उपखण्ड अधिकारी केकड़ी

Scanned with CamScanner